INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP98280517852798V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP98280517852798V
Certificate Issued Date	:	26-Aug-2023 02:51 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14717404/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14717404921344618680I0V
Purchased by	:	VIDYA BAL MANDLI BAGHPAT ROAD MEERUT
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VIDYA BAL MANDLI BAGHPAT ROAD MEERUT
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VIDYA BAL MANDLI BAGHPAT ROAD MEERUT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

शपथ–पत्र (प्रारूप–''अ'')

हम प्रदीप कुमार जैन एवं विशाल जैन क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव विद्या बाल मण्डली सोसाइटी, 247, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है:–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा विद्या इस्टीटयुट ऑफ मैडिकल सांइसेस, बागपत रोड, मेरठ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी विद्या बाल मण्डली, मेरठ की ग्राम पोंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ मे गाटा संख्या 207, 208, 219, 221, 229मि, 241, 243, 245, 247, 248, 301, 302, 217ख, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 238, 239, 240, 242, 244, 250, 254क, 254ख, 255/1, 257, 299, 304, 64, 65/2, 66, 69, 73, 246, 247ख, 253, 256/1, 269/1, 286/1, 292/2 एवं 300 रकबा क्रमशः 0.1300, 0.1320, 0.0510, 0.2020, 0.2910, 0.2570, 0.2280, 0.4050, 2.5950, 0.0800, 0.2520, 0.4320, 0.1010, 0.0890, 0.1520, 0.8980, 0.0760, 0.7330, 0.0890, 0.4540, 0.3160, 2.1330, 0.2660, 1.5180, 0.7590, 2.9970, 0.0250, 0.2790, 0.4340, 0.2280, 1.6070, 0.0250, 0.1010,

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

0.1080, 0.0630, 0.1640, 0.1010, 0.2660, 0.0660, 0.0630, 0.1900, 0.0710, 0.0800, 0.1460 एवं 0.3400 हेक्टेयर (कुल रकबा 19.993 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 242, 243, 244 एवं 245 रकबा कमशः 1.5180, 0.2280, 0.7590 एवं 0.4050 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.91 हेक्टेयर मे से 1.1012 हेक्टेयर (2.5 ऐकड़)) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 21 मार्च 2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

NOTARY
ATTESTED
NOTARY
Distt. Meerut
Reg. No.-4410
GOVT. OF INDIA

13. मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

For VIDYA BAL MANDLI

Secretary

ह0 सचिव

VIDYA BAL MANDLI SOCIETY

Chairman

ह0 अध्यक्ष

NOTARY
ATTESTED
NOTARY
Distt. Meerut
Reg. No.-4410
GOVT. OF INDIA

Certified that Shri ...
resident of ...
identified by ...
sworn the contents of this affidavit ...
... before me ...

ATTESTED

01/8/2013